





स्वाम्य विवेक का दि. ५-०-१९७९

स्वाम्य की वनशक्ति

स्वाम्य का करने का प्रयोग

स्वाम्य नेता का नाम  
पिता  
पति

व्यवस्था  
सहस्रील

स्वाम्य विवेक मोहम्मद अख्तर

साहसेज-45

की अमति 31-3-2009

हस्ताक्षर पति का अमति-साहसेज

Handwritten signature and date ५/०/१९७९

सलहनामा नं. 3

सेवा में,

श्रीमान जिला जज महोदय, जनपद श्रावस्ती।

विषय:- पेशकार सी0जे0एम0 के दोहन एवं उत्पीड़न से मुक्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,



प्रार्थी का एक वाद न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय जनपद श्रावस्ती पर सगीर अहमद बनाम रौनक अली चक के सम्बन्ध में मुकदमा नं0-1813/2007, 138 एन.ई. विचाराधीन है।

जिसमें वादी सगीर अहमद के द्वारा मेरे आर्थिक स्थिति को देखते हुए 1,16,418/-रूपये में मात्र 75,000/-रूपये लेकर शेष धनराशि माफ कर दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में एक सुलहनामा भी न्यायालय पर काफी अरसा पूर्व दाखिल हो चुका है। के पश्चात् भी पेशकार सी0जे0एम0 के द्वारा दोहन करने की नियत से न तो उक्त पत्रावली को श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुत ही किया जा रहा है और न उसका निस्तारण ही कराया जा रहा है और बार-बार वारन्ट, कुर्की की धमकी दी जा रही है।

दिनांक 17.02.2020 पेशी वाले दिन पर मेरे अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार शुक्ला, ओम पाण्डेय एडवोकेट किसी दूसरे अदालत पर व्यस्त थे मैं तारीख पेशी पर हाजिर अदालत आया और मौकें पर मौजूद रहने के बावजूद भी मेरा हस्ताक्षर नहीं कराया गया।

प्रार्थी एक निहायत ही निर्धन एवं असहाय व्यक्ति है तथा बीमार हो चलते शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी परेशान रह रहा है। सुलह समझौता हो जाने के बावजूद भी हैरान व परेशान करने की नियत से बार-बार दौड़ाया जा रहा है।

प्रार्थी को पेशकार सी0जे0एम0 के आतंक एवं उत्पीड़न से मुक्ति दिलाते हुए न्याय दिलाये जाने एवं वाद उपरोक्त को समाप्त कराये जाने की कृपा की जाये।

बड़ी कृपा होगी।

आज प्रस्तुत किया गया।

कारबन्दात पत्रावली

आज के आदत परदे

प्रस्तुत करें।

(७)

24/2/2020

प्रार्थी/याची

रौनक अली

रौनक अली पुत्र लल्लन

साकिन कल्याणपुर पोस्ट शाहपुर

थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती

मो0नं0-9721776892

दिनांक-19.02.2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय चीफ जस्टिस महोदय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ।

कार्यालय सी०जे०एम० श्रावस्ती।

नोटिस

बनाम


श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव  
प्रस्तुतकार

न्यायालय सी०जे०एम०, श्रावस्ती।

शिकायतकर्ता रौनक अली की ओर से प्रस्तुत शिकायती प्रा० पत्र के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र सं० ०८/२०२० के माध्यम से स्पष्टीकरण आहूत किया गया है।

अतः आपको इस सम्बन्ध में आदेशित किया जाता है कि आज सायं ४ बजे तक लम्बित पत्रावली सगीर बनाम रौनक अली आदि मु० नं० १८१३/०७ में आप अपना स्पष्टीकरण इस बावत प्रस्तुत करें कि किन परिस्थितियों में आप द्वारा दिनांक ०५.०२.२०१९ को पक्षकारों के मध्य सुलहनामा दाखिल हुआ था किन्तु आप द्वारा न तो उक्त सुलहनामों का कोई उल्लेख आदेश पत्र में किया और न ही सुलहनामा को सूचीबद्ध किया साथ ही बिना मेरे आदेश पारित किये परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रा० पत्र धारा-३११ दं०प्र०स को आदेश पत्र दिनांकित १६.१२.२०१९ लिखते हुये स्वीकार कर लिये जाने का आदेश अंकित कर दिया गया।

दिनांक: २५-०२-२०२०

  
(शीतला प्रसाद)

सी०जे०एम० श्रावस्ती।

S.V

RS

25/2/20  
N.S.



सेवा में

श्रीमान C.J.M. महोदय  
प्रावली

महोदय,

सादर विवेक है कि पत्रांक १३  
 प्रावि - लौक में जुलहनामा पूर्व पीठाधीन  
 आधिकारी महोदय के समय प्रहृत उपा या  
 लेडिग सहज आदेश पत्र में मुला उल्लेख मला  
 हल गण प्रोपेटा यह भी विवेक है कि  
 दिनांक २६/१२/२०१९ को दोनो पक्षमा आधिकार  
 एवं श्रीमान अहमद आधिकारी महोदय का उपलब्ध  
 के न्यायालय में प्रारंभ ५/३११ कार को  
 प्रहृत विजा मला का विवे मेरे दाल  
 आदेश पत्र मा विवेक मा श्रीमान पीठाधीन  
 आधिकारी महोदय द्वारा हस्ताक्षर विषा गण  
 दि-३ दादलौरी के समय प्रवृत ३११ कार या  
 मला के श्रीमान का आदेश आधिकार मला  
 हल गण श्रीमान का उपा के दादलौरी  
 हल के उपा काने का उपा को  
 आधिकार में प्रारंभ हस्ताक्षर रहेगा

सादर

प्रावि

25/12/2020

सुधी कुमार श्रीवास्तव  
प्रहृतका

ज्या. C.J.M. प्रावली

२१०१०१०५ न.५

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
श्रावस्ती


महोदय,


सादर निवेदन है कि वर्ष 2019-20 में दिनांक 23.05.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक वर्षवार विवरण में निस्तारित उन पत्रावलियों की संख्या निम्नवत है, जिस पर कोई यूनिट (कोटा) देय नहीं है:-


1- लोक अदालत में निस्तारित वाद-	2649
2- अन्य न्यायालय पर स्थानान्तरित वाद-	1182
3- दाण्डिक प्रकीर्ण वाद-	836

सादर।


प्रार्थीगण

1. सुधीर कुमार श्रीवास्तव,   
तत्कालीन प्रस्तुतकार

2. संजय गुप्ता,   
सम्बद्ध फौजदारी अहलमद

3. प्रशान्त वैभव,   
तत्कालीन सम्बद्ध फौजदारी अहलमद

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
श्रावस्ती।



अनुपालन आख्या बावत त्रैमासिक निरीक्षण, सितंबर 2019 द्वारा  
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।






श्रीमान् जी, दिनांक 25.09.2019 को श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में दृष्टिगत हुई कमियों को निवारण करने के निर्देश सम्बन्धित को दिये गये में जिनका अनुपालन सभी सम्बन्धित द्वारा किया गया है एवं अनुपालन हेतु नोट किया गया है। बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है:-

- 1- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 1 पर बिन्दु सं० 1 में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया।
- 2- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 2 पर बिन्दु सं० 4 ए में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया।
- 3- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 2 पर बिन्दु सं० 4 बी में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया।
- 4- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 2 पर बिन्दु सं० 5 में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया।
- 5- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 3 पर बिन्दु सं० 9 में दिये गये निर्देश को अनुपालन हेतु नोट किया गया।
- 6- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 3 पर बिन्दु सं० 11 में दिये गये निर्देश को अनुपालन हेतु नोट किया गया।
- 7- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 3 के अन्तिम द्वितीय पैरा व अन्तिम पैरा में दिये गये निर्देश को अनुपालन हेतु नोट किया गया।
- 8- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 4 के प्रथम, द्वितीय व अन्तिम पैरा में दिये गये निर्देश को अनुपालन हेतु नोट किया गया।
- 9- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 5 के प्रथम पंक्ति व प्रथम पैरा में दिये गये निर्देश को अनुपालन हेतु नोट किया गया।

S. Prasad

(शीतला प्रसाद)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
श्रावस्ती।

- 1- श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव (प्रस्तुतकार) 
- 2- श्री अवधेश कुमार मिश्र (फौजदारी लिपिक) 
- 3- श्री संजय कुमार गुप्ता (स० फौजदारी लिपिक) 
- 4- श्री विवेक सिंह (स० फौजदारी लिपिक) 
- 5- श्री प्रशान्त वैभव (स० फौजदारी लिपिक) 



त्रैमासिक निरीक्षण माह सितम्बर, २०१९

निरीक्षण टिप्पणी-	न्यायालय / कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।
निरीक्षण तिथि-	२५.०९.२०१९
निरीक्षणकर्ता अधिकारी-	शीतला प्रसाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।

-----

आज दिनांक २५.०९.२०१९ को मैंने कार्यालय एवं न्यायालय का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इससे पूर्व न्यायालय एवं कार्यालय का निरीक्षण माह जून, २०१९ मे मेरे द्वारा किया गया था। निरीक्षण के समय न्यायालय/कार्यालय में कोई बाहरी व्यक्ति कार्य करता हुआ नहीं पाया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती का कार्यालय तहसील भवन के द्वितीय तल पर स्थित है। निरीक्षण दिनांक पर न्यायालय एवं कार्यालय में कार्यरत् कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पद नाम
१-	श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव	प्रस्तुतकार
२-	श्री अवधेश कुमार मिश्र	फौजदारी लिपिक
३-	श्री संजय कुमार गुप्त	स० फौजदारी लिपिक
४-	श्री विवेक सिंह	स० फौजदारी लिपिक
५-	श्री प्रशान्त वैभव	स० फौजदारी लिपिक
६-	श्री अरशद खान	सम्बद्ध लिपिक
७-	श्री विनय कुमार	आशुलिपिक
८-	श्री शिव प्रकार यादव	कार्यालय चपरासी
९-	श्री नागेश्वर	अर्दली
१०-	श्री रामधनी	वाहन चालक

इस न्यायालय में थाना कोतवाली भिनगा, मल्हीपुर, सिरसिया व इकौना से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी एवं जनपद के समस्त थानों से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध धारा १५६(३) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा आर्थिक अपराध से सम्बन्धित वादो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत अपीलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

E

यथास्थान चस्पा नहीं किया गया है। प्रस्तुतकार/मुंसरिम को निर्देशित किया जाता है कि वह सूची में कागजातों को उचित प्रकार से दर्ज करें तथा गार्ड फाइलों में कागजातों को उचित प्रकार से चस्पा करें।

२- गत माह अगस्त २०१९ के प्रारम्भ में न्यायालय में कुल फौजदारी वाद के १४४७६ वाद लम्बित थे। माह अगस्त २०१९ में ४७५ फौजदारी वाद संस्थित हुये तथा कुल २९२ फौजदारी वाद निस्तारित किये गये। माह के अन्त में १५०१५ वाद लम्बित है।

३- गत माह अगस्त २०१९ में गुण दोष के आधार पर कुल ८ मामले निस्तारित किये गये।

४ए- जुर्माना रजिस्टर का अवलोकन किया। यह रजिस्टर फौजदारी लिपिक द्वारा नियमानुसार अनुरक्षित किया गया है। जुर्माना रजिस्टर के अवलोकन से यह पाया गया कि जुर्माना रजिस्टर माह अगस्त २०१९ तक सत्यापित है। रसीद बुक के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुछ मामलों में कुछ रसीद वादकारियों को दी गयी है तथा कुछ रसीदें नहीं दी गयी है और नियमानुसार वादकारियों के हस्ताक्षर भी रसीद बुक पर प्राप्त नहीं किये गये हैं जो अत्यन्त आपत्तिजनक है। कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि जुर्माने से सम्बन्धित रसीद बुक अंकन पश्चात् जारी करें तथा हस्ताक्षर अथवा अंगूठा जो भी लागू हो उसे अंकित करायें।

४बी- फौजदारी लिपिक द्वारा जो अर्थदण्ड वसूला जाता है उसे यथासम्भव उसी दिन कोषागार/बैंक में जमा करवा दिया जाता है। जो धनराशि विलम्ब से प्राप्त होती है उसे अगले दिन कोषागार/बैंक में अवश्य जमा करवा दिया जाता है फिर भी फौजदारी लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह प्राप्त जुर्माना की धनराशि को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में बैंक/कोषागार में अनिवार्य रूप से जमा कर दिया करें।

४सी- फौजदारी लिपिक द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा अधिरोपित कुल अर्थदण्ड में २६६००/- रुपये का अर्थदण्ड अब तक स्थगित किये गये हैं जिनका विवरण संलग्न सूची में दर्शित है। माह अगस्त, २०१९ में कुल १८६५०/- रुपया अर्थदण्ड वसूल कर कोषागार प्रेषित किया गया है।

४डी- फौजदारी लिपिक द्वारा बताया गया कि कोई भी अर्थदण्ड वसूली हेतु अवशेष नहीं है।

४ई- कार्यालय लिपिकगण द्वारा कोषागार में वसूले गये अर्थदण्ड को जमा करने के पश्चात् माह की समाप्ति पर माह अगस्त, २०१९ तक फ्लाइ लीफ प्राप्त कर अर्थदण्ड पंजिका पर चस्पा किये गये हैं।

४एफ- कार्यालय लिपिकगण द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में कोई रिफण्ड प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु लम्बित नहीं हैं।

५- निरीक्षण में पाया गया कि कार्यालय में पंजिका प्रारूप संख्या ५ नहीं अनुरक्षित की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि जी०आर०क्रिमिनल के नियम १०३ के

९


- ७- कार्यालय लिपिकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि इस निरीक्षण त्रैमास में अभिलेखागार से कोई पत्रावली बदर दुरुस्ती हेतु नहीं प्राप्त करायी गयी है।
- ८- कार्यालय लिपिकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि माह जुलाई, २०१९ तक निर्णीत पत्रावलियों को अभिलेखागार में दाखिल किया जा चुका है।
- ९- कार्यालय लिपिकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि इस न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कुल १२ फौजदारी वादों में अग्रिम कार्यवाही स्थगित है। फौजदारी लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह इन पत्रावलियों की अद्यतन स्थिति माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर अपनी आख्या के साथ पत्रावली में संलग्न कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।
- १०- न्यायालय में लम्बित अप्ण्डरट्रायल पत्रावलियों में १४ दिवस की अग्रिम तिथि लगायी जाती है तथा साक्ष्य हेतु लम्बित ऐसी पत्रावलियों में साक्षी को सम्मन प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाता है।
- ११- न्यायालय द्वारा आदेशित आदेशिकाओं को न्यायालय के अनुपालन में कार्यालय से भेजा जाता है परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि इन आदेशिकाओं को प्राप्त कराने एवं वापसी की विवरण को दर्शित करने निर्धारित प्रारूप की पंजिका कार्यालय में अनुरक्षित नहीं है। इस सम्बन्ध में कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि सामान्य नियमावली फौजदारी के नियमानुसार प्रासेस पंजिका का अनुरक्षण सुनिश्चित करें और मेरे समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
- १२- फौजदारी लिपिकगण द्वारा बताया गया कि इस समय में कोई भी मांगपत्र अभिलेखों के प्रेषण हेतु लम्बित नहीं है।
- १३- फौजदारी लिपिकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में प्रतिलिपि अनुभाग का कोई प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं है। जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है उसे अन्दर तीन दिवस में सम्बन्धित अभिलेख के साथ सिविल प्रतिलिपि अनुभाग भेज दिया जाता है।

मैंने निम्नलिखित रजिस्ट्रों का अवलोकन किया।

**रजिस्टर नम्बर ४५-**

इस रजिस्टर को फौजदारी लिपिकगण द्वारा सादे कागज पर लाइन खींचकर अनुरक्षित किया गया है जो जी०आर० क्रिमिनल के अनुरूप नहीं बना है। लेबिल व हेडिंग भी नियमानुसार चस्पा नहीं है। इस पंजिका में माह जुलाई २०१९ तक निर्णीत पत्रावलियों का ही अंकन किया गया है। माह अगस्त २०१९ व सितम्बर २०१९ में निर्णीत पत्रावलियों का अंकन नहीं है। फौजदारी लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय पश्चात प्राप्त होने वाली पत्रावली को तत्काल इस पंजिका में अंकित कर दिया करें।

**रजिस्टर नम्बर १०-**



निर्देशित किया जाता है कि इसको नियमानुसार संरक्षित करें तथा पत्रावली में पारित आदेश और परिणाम भी अंकित करें ताकि विविध वाद का निस्तारण किस रूप में हुआ, रजिस्टर को देखने से ही विदित हो जाये तथा यह हिदायत दी जाती है कि समस्त प्रविष्टियाँ भरने के उपरान्त मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।

### रजिस्टर नम्बर १२९-

यह रजिस्टर को फौजदारी लिपिकगण द्वारा सादे कागज पर लाइन खींचकर अनुरक्षित किया गया है। अन्तिम प्रविष्टि दिनांक २४.०९.२०१९ को राज्य प्रति अरविन्द कुमार अन्तर्गत धारा १० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, अपराध संख्या २१६/२०१९ थाना भिनगा है। रजिस्टर में अंकित समस्त कालम का नियमानुसार उल्लेख नहीं है। इस रजिस्टर में नियमित रूप से न तो जमानत प्रार्थना पत्रों को अंकित किया जा रहा है जो गम्भीर आपत्तिजनक है और नियमावली का उल्लंघन है। अतः कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब सभी जमानत प्रार्थनापत्रों को रजिस्टर में नियमानुसार दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

### रजिस्टर नम्बर ९-

यह रजिस्टर सादे कागज पर लाइन खींचकर अनुरक्षित किया गया है। इस पंजिका में समस्त प्रकार के पुलिस चलानी व परिवाद को सी.आई.एस. पर दर्ज करने के पश्चात अंकित किया जाता है। इस रजिस्टर पर लेबिल व हेडिंग चस्पा नहीं है। फौजदारी लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि रजिस्टर में इंडेक्सिंग व समस्त कालम नियमानुसार पूर्ण किये जाये।

### रजिस्टर नम्बर १०३-

यह रजिस्टर मुंसरिम/प्रस्तुतकार द्वारा सादे कागज पर लाइन खींचकर बनाया गया है। इस रजिस्टर में प्रतिदिन पड़ने वाले प्रकीर्ण प्रार्थनापत्रों को प्रस्तुतकार/मुंसरिम द्वारा अंकित किया जाता है। यह रजिस्टर प्रस्तुतकार/मुंसरिम द्वारा नियमानुसार बनाया गया किन्तु प्रार्थनापत्रों का अंकन उचित प्रकार से नहीं किया जाता है। प्रस्तुतकार/मुंसरिम को आदेशित किया जाता है कि रजिस्टर में अंकन उचित प्रकार से किया करें।

१०- कार्यालय लिपिकगण द्वारा यह बताया गया कि माह जुलाई २०१९ तक की निर्णीत पत्रावलियों को दाखिल दफ्तर किया जा चुका है।

निरीक्षण के दौरान मैंने निम्नलिखित पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

१- परिवाद मुकदमा संख्या ५६५/२०१६, सैय्यूब अली बनाम दहन व अन्य, अन्तर्गत धारा ३२४, ५०४, ५०६, ४२७ व ३५६ भा०दं०सं०, थाना इकौना की पत्रावली का अवलोकन किया। मामले में परिवाद दिनांक ०९.०८.२०१६ को न्यायालय में सस्थित किया गया। दिनांक २३.०८.२०१६ को परिवादी का बयान अन्तर्गत धारा २०० सी०आर०पी० अंकित किया गया। अलग

फौजदारी लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह समस्त प्रपत्र सूची में दर्ज करे।

२- दाण्डिक वाद संख्या १६१/२०१०, अपराध संख्या १०६/२०१०, सरकार बनाम नीरज कुमार तिवारी, अन्तर्गत धारा ३७९, ४११ भा०दं०सं, थाना मल्हीपुर की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में आरोप पत्र दिनांक ०७.०४.२०१० को न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। दिनांक ०५.०९.२०१२ को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित हुआ। अभियोजन साक्ष्य पी०डब्लू०१ मोहम्मद नईम का अंकित हो चुका है। पत्रावली में अग्रिम तिथि १९.१२.२०१९ नियत है। इस पत्रावली में भी समस्त प्रपत्र सूचीबद्ध नहीं है। फौजदारी लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह समस्त प्रपत्र सूची में दर्ज करना सुनिश्चित करे।

दिनांक २५.०९.२०१९

S. Prasad

(शीतला प्रसाद)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

श्रावस्ती।

प्रस्तुतकार/लिपिकगण निरीक्षण आख्या में दर्शायी गयी त्रुटियों के निवारण के पश्चात् माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाये।

दिनांक २५.०९.२०१९

S. Prasad

(शीतला प्रसाद)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

श्रावस्ती।

ca

अनुपालन आख्या बावत त्रैमासिक निरीक्षण, दिसम्बर 2019 द्वारा

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।






श्रीमान् जी, दिनांक 23.12.2019 को श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में दृष्टिगत हुई कमियों को निवारण करने के निर्देश सम्बन्धित को दिये गये में जिनका अनुपालन सभी सम्बन्धित द्वारा किया गया है एवं अनुपालन हेतु नोट किया गया है। बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है:-

- 1- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 2 पर बिन्दु सं० 4 ए में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया।
- 2- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 2 पर बिन्दु सं० 4 बी में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया।
- 3- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 3 पर बिन्दु सं० 5 में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया।
- 4- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 3 पर बिन्दु सं० 7 में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया।
- 5- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 3 पर बिन्दु सं० 11 में दिये गये निर्देश को अनुपालन हेतु नोट किया गया।
- 6- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 3 पर अन्तिम पैरा में दिये गये निर्देश को अनुपालन हेतु नोट किया गया।
- 7- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 4 पर में दिये गये निर्देश को अनुपालन हेतु नोट किया गया एवं अनुपालन किया गया।



(शीतला प्रसाद)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
श्रावस्ती।

- 1- श्री सुधीर श्रीवास्तव (प्रस्तुतकार) 
- 2- श्री अवधेश कुमार मिश्र (फौजदारी लिपिक) 
- 3- श्री संजय कुमार गुप्ता (स० फौजदारी लिपिक) 
- 4- श्री विवेक सिंह (स० फौजदारी लिपिक) 
- 5- श्री प्रशान्त वैभव (स० फौजदारी लिपिक) 



त्रैमासिक निरीक्षण माह दिसम्बर, 2019

निरीक्षण टिप्पणी-	न्यायालय/कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।
निरीक्षण तिथि-	23.12.2019
निरीक्षणकर्ता अधिकारी-	शीतला प्रसाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।

आज दिनांक 23.12.2019 को मैंने कार्यालय एवं न्यायालय का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इससे पूर्व न्यायालय एवं कार्यालय का निरीक्षण माह सितम्बर, 2019 में मेरे द्वारा किया गया था। निरीक्षण के समय न्यायालय/कार्यालय में कोई बाहरी व्यक्ति कार्य करता हुआ नहीं पाया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती का कार्यालय तहसील भवन के द्वितीय तल पर स्थित है। निरीक्षण दिनांक पर न्यायालय एवं कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	पद नाम
1-	श्री सुधीर श्रीवास्तव	प्रस्तुतकार
2-	श्री अवधेश कुमार मिश्र	फौजदारी लिपिक
3-	श्री संजय कुमार गुप्त	स० फौजदारी लिपिक
4-	श्री विवेक सिंह	स० फौजदारी लिपिक
5-	श्री प्रशान्त वैभव	स० फौजदारी लिपिक
6-	श्री अरशद खान	सम्बद्ध लिपिक
7-	श्री विनय कुमार	आशुलिपिक
8-	श्री शिव प्रकाश यादव	कार्यालय चपरासी
9-	श्री नागेश्वर	अर्दली
10-	श्री रामधनी	वाहन चालक

इस न्यायालय में थाना कोतवाली भिनगा, मल्हीपुर सिरसिया व इकौना से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी एवं जनपद के समस्त थानों से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध धारा 156।3। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र तथा आर्थिक अपराध से सम्बन्धित वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत अपीलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

१२

१

1- प्रस्तुतकार/मुंसरिम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों से सम्बन्धित गार्ड फाइल, माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश एवं निर्देशों से सम्बन्धित गार्ड फाइल, शासनादेशों से सम्बन्धित गार्ड फाइल एवं पीठासीन अधिकारी के न्यायालय/कार्यालय के आदेश से सम्बन्धित गार्ड फाइल बनायी गयी है किन्तु कागजातों को सूची में नियमानुसार दर्ज नहीं किया गया है। कागजातों को यथास्थान चस्पा नहीं किया गया है। प्रस्तुतकार/मुंसरिम को निर्देशित किया जाता है कि वह सूची में कागजातों को उचित प्रकार से दर्ज करें तथा गार्ड फाइलों में कागजातों को उचित प्रकार से चस्पा करें।

2- गत माह नवम्बर 2019 के प्रारम्भ में न्यायालय में 11151 के राज्य फौजदारी वाद तथा 2457 परिवाद के मामलें लम्बित है। गत माह नवम्बर के अन्त में 11341 राज्य फौजदारी वाद तथा 2402 परिवाद के फौजदारी वाद लम्बित है।

3- गत माह नवम्बर 2019 में गुण दोष के आधार पर कुल 11 मामले निस्तारित किये गये।  
4ए- जुर्माना रजिस्टर का अवलोकन किया। यह रजिस्टर फौजदारी लिपिक द्वारा नियमानुसार अनुरक्षित किया गया है। जुर्माना रजिस्टर के अवलोकन से यह पाया गया कि जुर्माना रजिस्टर माह नवम्बर 2019 तक सत्यापित है। रसीद बुक के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुछ मामलों में कुछ रसीद वादकारियों को दी गयी है तथा कुछ रसीदें नहीं दी गयी हैं और नियमानुसार वादकारियों के हस्ताक्षर भी रसीद बुक पर प्राप्त नहीं किये गये हैं जो अत्यन्त आपत्तिजनक है। कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि जुर्माने से सम्बन्धित रसीद बुक अंकन पश्चात् जारी करें तथा हस्ताक्षर अथवा अंगूठा जो भी लागू हो उसे अंकित करायें।

4 बी- फौजदारी लिपिक द्वारा जो अर्थदण्ड वसूला जाता है उसे यथासम्भव उसी दिन कोषागार/बैंक में जमा करवा दिया जाता है। जो धनराशि विलम्ब से प्राप्त होती है उस अगले दिन कोषागार/बैंक में अवश्य जमा करवा दिया जाता है फिर भी फौजदारी लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह प्राप्त जुर्माना की धनराशि को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में बैंक/कोषागार में अनिवार्य रूप से जमा कर दिया करें।

4सी- फौजदारी लिपिक द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा अधिरोपित कुल अर्थदण्ड में 26600/-रुपये का अर्थदण्ड अब तक स्थगित किये गये हैं जिनका विवरण संलग्न सूची में दर्शित है।

4 डी- फौजदारी लिपिक द्वारा बतया गया कि कोई भी अर्थदण्ड वसूली हेतु अवशेष नहीं है।

4 ई- कार्यालय लिपिकगण द्वारा कोषागार में वसूले गये अर्थदण्ड को जमा करने के पश्चात् माह की समाप्त पर माह नवम्बर, 2019 तक फ्लॉई लीफ प्राप्त कर अर्थदण्ड पंजिका पर चस्पा किये गये हैं।

4 एफ- कार्यालय लिपिकगण द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में कोई रिफण्ड प्रार्थनापत्र निस्तारण हेतु लम्बित नहीं हैं।



- 5- निरीक्षण में पाया गया कि कार्यालय में पंजिका प्रारूप संख्या 5 नहीं अनुरक्षित की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि जी0आर0क्रिमिनल के नियम 103 के अनुसार इस पंजिका का अनुरक्षण सुनिश्चित करें व मेरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
- 6- न्यायालय पर आने वाले समस्त साक्षियों का यथासम्भव बयान अंकन व जिरह अंकित की जाती है।
- 7- कार्यालय लिपिकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि इस निरीक्षण वर्ष में अभिलेखागार से कोई पत्रावली बदर दुरुस्ती हेतु नहीं प्राप्त करायी गयी है। अन्तिम प्रविष्टि माह फरवरी, 2014 में गवाह रामकृपाल मिश्र से सम्बन्धित है। रजिस्टर पूर्ण नहीं है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब रजिस्टर पूर्ण कर मेरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
- 8- इस त्रैमास नवम्बर, 2019 में दाखिल अभिलेखागार की पत्रावलियों का विवरण संलग्न प्रोफार्मा संख्या-8 में दर्शित किया गया है।
- 9- माननीय अपीलीय न्यायालय से कुल 12 वादों की कार्यवाही स्थगित है इनका विवरण संलग्न विवरण पत्र -9 में दर्शित किया गया है।
- 10- विवरण पत्र संख्या-10 में न्यायालय के अप्ण्डरट्रायल वादों से सम्बन्धित वादों का विवरण अंकित किया गया है।
- 11- न्यायालय द्वारा आदेशित आदेशिकाओं को न्यायालय के अनुपालन में कार्यालय से भेजा जाता है परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि इन आदेशिकाओं को प्राप्त कराने एवं वापसी की विवरण को दर्शित करने निर्धारित प्रारूप की पंजिका कार्यालय में अनुरक्षित नहीं है। इस सम्बन्ध में कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि सामान्य नियमावली फौजदारी के नियमानुसार प्रासेस पंजिका का अनुरक्षण सुनिश्चित करें और मेरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
- 12- फौजदारी लिपिकगण द्वारा बताया गया कि इस समय में कोई भी मांगपत्र अभिलेखों के प्रेषण हेतु लम्बित नहीं है।
- 13- फौजदारी लिपिकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में प्रतिलिपि अनुभाग का कोई प्रतिलिपि प्रार्थनापत्र लम्बित नहीं है।

मैंने निम्नलिखित रजिस्ट्रों का अवलोकन किया।

#### रजिस्टर नं0 45 -

इस रजिस्टर को फौजदारी लिपिकगण द्वारा सादे कागज पर लाइन खींचकर अनुरक्षित किया गया है जो जी0आर0 क्रिमिनल के अनुरूप नहीं बना है। लेबिल व हेडिंग भी नियमानुसार चस्पा नहीं है। अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 23.12.2019 को दाण्डिक वाद संख्या 2148/19 सरकार बनाम उदयराज धारा 60 अबकारी अधिनियम थाना सिरसिया की गयी है। यह रजिस्टर न्यायालय पर होने वाले फैसले को दर्ज किये जाने हेतु बनाया गया है। अतः कार्यालय लिपिकगण को आदेशित किया जाता है कि अविलम्ब रजिस्टर को पूर्ण करें तथा भविष्य में दिन प्रतिदिन होने वाले फैसलों को दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

**रजिस्टर नं0 12-**

इस रजिस्टर को फौजदारी लिपिकगण द्वारा सादे कागज पर लाइन खींचकर अनुरक्षित किया गया है जो जी0आर0क्रिमिनल के अनुरूप नहीं बना है। रजिस्टर में अंकित समस्त कालम का हवाला नहीं है। दिनांक 23.12.2019 को अन्तिम प्रविष्टि 1684/19 मैसरुल बनाम कलीमून आदि, अन्तर्गत धारा 155।2। दण्ड प्रक्रिया संहिता, थाना मल्हीपुर अंकित है। अतः कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि इसको नियमानुसार संरक्षित करें तथा पत्रावली में पारित आदेश और परिणाम भी अंकित करें ताकि विविध वाद का निस्तारण किस रूप में हुआ, रजिस्टर को देखने से ही विदित हो जाये तथा यह हिदायत दी जाती है कि समस्त प्रविष्टियाँ भरने के उपरान्त मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।

**रजिस्टर नं12 ए-**

यह रजिस्टर फौजदारी लिपिक द्वारा सादे कागज पर लाइन खींचकर अनुरक्षित किया गया है। अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 21.12.2019 सरकार बनाम ननके अन्तर्गत धारा 419 420 467 468 471 भा०दं०सं० थाना कोतवाली भिनगा अपराध संख्या 106/18 जिसे निरस्त किया गया है। रजिस्टर में अंकित समस्त कालम का नियमानुसार उल्लेख नहीं है। इस रजिस्टर में नियमित रूप से न तो जमानत प्रार्थनापत्रों को अंकित किया जा रहा है जो गम्भीर आपत्तिजनक है और नियमावली का उल्लंघन है। अतः कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब सभी जमानत प्रार्थनापत्रों को रजिस्टर में नियमानुसार दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

**रजिस्टर नं0 9**

यह रजिस्टर सादे कागज पर लाइन खींचकर अनुरक्षित किया गया है। यह रजिस्टर दिनांक 10.10.2019 से अनुरक्षित है। रजिस्टर पर लेबिल व हेडिंग चस्पा नहीं है। रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुआयना के दिनांक को अन्तिम प्रविष्टि 5778/19, सरकार बनाम सुरेश कुमार, दाण्डिक वाद से सम्बन्धित की गयी है। रजिस्टर में इंडेक्सिंग व समस्त कालम नियमानुसार पूर्ण किये जायें।

**रजिस्टर नं0 103**

यह रजिस्टर मुंसरिम/प्रस्तुतकार द्वारा सादे कागज पर लाइन खींचकर बनाया गया है। इस रजिस्टर में प्रतिदिन पड़ने वाले प्रकीर्ण प्रार्थनापत्रों को प्रस्तुतकार/मुंसरिम द्वारा अंकित किया जाता है। यह रजिस्टर प्रस्तुतकार/मुंसरिम द्वारा नियमानुसार बनाया गया है किन्तु प्रार्थनापत्रों का अंकन उचित प्रकार से नहीं किया जाता है। प्रस्तुतकार/मुंसरिम को आदेशित किया जाता है कि रजिस्टर में अंकन उचित प्रकार से किया करें।

10- कार्यालय लिपिकगण द्वारा यह बताया गया कि माह नवम्बर, 2019 तक की निर्णीत पत्रावलियों को दाखिल दफ्तर किया जा चुका है।


निरीक्षण के दौरान मैंने निम्नलिखित पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

1- मु0नं0 1095/2003, अपराध संख्या 228/2001, सरकार बनाम छेदी उर्फ सतीश आदि,

अन्तर्गत धारा 323,504,325 भा0दं0सं0, थाना इकौना की पत्रावली का अवलोकन किया। मामले में दिनांक 21.11.2002 को आरोपपत्र प्राप्त हुआ है। पत्रावली में अभियोजन की ओर से तीन साक्षियों को परीक्षित कराया जा चुका है। शेष साक्षियों को भी साक्ष्य हेतु तलब किया गया है। पत्रावली प्राचीन है। इंडेक्स नहीं बना है। बयान एवं अन्य कागजात नियमानुसार नत्थी नहीं हैं। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली में इंडेक्स बनाकर कागजातों को यथास्थान नत्थी करना सुनिश्चित करें।


2— मु0नं0 366/14, अपराध संख्या 342/07, सरकार बनाम राजेन्द्र प्रसाद धारा 279,304 ए भा0दं0सं0, थाना सिरसिया की पत्रावली का अवलोकन किया। मामले में दिनांक 1.3.08 को आरोपपत्र न्यायालय में प्राप्त कराया गया है। मामले में दिनांक 17.02.2011 को अभियुक्तगण के विरुद्ध बयान मुल्जिम अंकित किया गया है। पत्रावली में पी०डब्लू० 1 का साक्ष्य अंकित कराया गया है तब से पत्रावली अभियोजन के साक्ष्य हेतु नियत चल रही है।

दिनांक 23.12.2019

  
। शीतला प्रसाद।  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
श्रावस्ती।

प्रस्तुतकार/ लिपिकगण निरीक्षण आख्या में दर्शायी गयी त्रुटियों के निवारण के पश्चात् माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाये।

दिनांक 23.12.2019

  
। शीतला प्रसाद।  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
श्रावस्ती।



न्यायालय जे०एम० श्रावस्ती स्थान भिनगा।

श्रीमती राधा शुक्ला बनाम हुकुम चन्द्र आदि।

दिनांक 05-9-2014

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली व थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया गया।

आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया है कि दिनांक 19-8-14 की समय 8 बजे वह अपने ननद के साथ शौच के लिए गयी थी। जहां पर विपक्षीगण पहले से घात लगा कर बैठे थे। जैसे ही प्रार्थिनी शौचक करके उठी वे खेत से निकल कर आय गये और प्रेम नरायण व हुकुम चन्द्र अपने पास लिए अगौछे से प्रार्थिनी का मुंह बांध दिया और चारो लोग प्रार्थिनी को घसीटते हुए पास के मक्के के खेत में ले गये। जहां पर हुकुम चन्द्र व प्रेम नरायण ने जबरदस्ती उसके साथ बारी-2 से बलात्कार किया। शिव प्रसाद व राज कुमार रखवाली कर रहे थे। जब प्रार्थिनी के मुंह से किसी तरह कपड़ा हटा तो जोर से चिल्लाई तो गांव के बहुत से लोग आ गये तो विपक्षीगण मक्का के खेत से निकल कर भाग गये। यह उल्लेखनीय है कि उन्हीं पक्षकारों के बीच एक अन्य मुकदमा अन्य प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र प्रेमलता बनाम राम गोपाल आदि मुकमा सं० 267/12/14 अंतर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० दिया गया है जिस पर आज ही सुनवाई हुई है और न्यायालय द्वारा कोई संज्ञेय अपराध न पाते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है। थाने से प्राप्त आख्या में यह कहा गया है कि पक्षकारों के बीच एक मुकदमा अंतर्गत धारा-354 भारतीय दण्ड संहिता पहले से दर्ज है। जिसे राम नरायण की पत्नी प्रेमलता ने राम गोपाल के विरुद्ध दर्ज कराया था। वर्तमान वाद की वादिनी राधा शुक्ला उसी राम गोपाल शुक्ला की पत्नी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसी मामले के कारण प्रतिषोध व पेशबन्दी के कारण प्रार्थना पत्र दिया गया है। वैसे भी आवेदिका व विपक्षीगण एक ही गांव के हैं और आपरा में संबंधी हैं। सभी विपक्षीगण एक ही परिवार के हैं। और उनके बीच आपस में चाचा भतीजा व भाई का रिस्ता है। सामान्यतः भारतीय परिस्थितियों में पिता पुत्र जैसे संबंधी एक साथ एक ही स्त्री से शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं। स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर प्रतिषोध व पेशबन्दी में दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० खारिज विधे जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका श्रीमती राधा शुक्ला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है।

१०/९/१४  
प्र० न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
श्रावस्ती।

४

रसास ए. 0. 141 dt 17.09.2014

21010104-1.8

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती रथान-भिनगा।  
उपरिस्थित:-ओम प्रकाश अग्रवाल, एच0जे0एस0।

श्रीमती राधा शुक्ला

प्रति

दिनांक 16.9.2014

हुकुम चन्द्र आदि

यह आपराधिक पुनरीक्षण श्रीमती राधा शुक्ला की ओर से प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 5.9.2014 से शुद्ध होकर प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से आवेदिका का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 131 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त कर दिया गया था। उक्त आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि यह आदेश पारित करने में न्यायालय ने त्रुटि की है क्योंकि प्रार्थनापत्र के अनुसार संज्ञेय अपराध का मामला बनता था। बलात्कार के तथ्य प्रार्थनापत्र में थे किन्तु फिर भी प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया गया है।

राज्य की ओर से यह तर्क रखा गया है कि इस आदेश के विरुद्ध निगरानी संघार्य नहीं है और पूर्ण पीठ माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार निगरानी ग्राह्यता के बिन्दु पर निरस्त हो जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में जो निर्णय शकुन्तला देवी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य तथा श्यामराज बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य प्रस्तुत किये गये हैं वे इस मामले में पुनरीक्षणकर्त्री का कोई लाभ नहीं पहुँचाते क्योंकि फादर थामस के मामले में जो ताजा निर्णय दिया गया है वह वाध्यकारी है और इसके अतिरिक्त इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि थाने की आख्या में कहा गया है कि पक्षकारों के बीच एक मुकदमा पहले से ही धारा 354 भा0द0सं0 का दर्ज है। इस तथ्य के बारे में निगरानी के आधारों में कुछ नहीं कहा गया है कि ऐसा मामला पहले से दर्ज नहीं है। अतः ग्राह्यता के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुनकर इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानी तदनुसार इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।

दिनांक 16.9.2014

checked by

17/9/14

ओम प्रकाश अग्रवाल।  
सत्र न्यायाधीश,  
श्रावस्ती।

17/9/2014

8